न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर राज0
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
119 / 2023	22 / 08 / 2023	05 / 05 / 2025

1. नैना देवी पुत्री श्री रामनाथ
2. बद्रीनारायण पुत्र श्री रामचन्द्र (मृतक)
   - 2 / 1. बाबूलाल पुत्र स्व0 बद्रीनारायण (पुत्र)
   - 2 / 2. प्रेम देवी पत्नि स्व0 बद्रीनारायण (पुत्री)
   - 2 / 3. बुगली देवी पत्नि स्व0 बाबूलाल (पुत्री)
   - 2 / 4. गीता देवी पत्नि श्री नाथूलाल (पुत्री)
   - 2 / 5. गुलाब देवी पत्नि श्री राजूराम (पुत्री)
3. रमेश पुत्र श्री रामनाथ
4. रामकिशोर पुत्र श्री रामनाथ
5. रामराय पुत्र श्री रामचन्द

समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम गुवारडी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र ग्यारसीलाल
2. रामस्वरूप पुत्र ग्यारसीलाल
3. फूली देवी पत्नि गुलाबचन्द
4. रामरतन पुत्र गुलाबचन्द
5. रामविलास पुत्र गुलाबचन्द
6. सुशीला देवी पुत्री गुलाबचन्द
7. सन्ती देवी पुत्री गुलाबचन्द
8. कोशल्या पुत्र रामसहाय
9. कैलाश पुत्र रामसहाय
10. हनुमान पुत्र रामसहाय
11. घनश्याम पुत्र रामसहाय
12. बनवारी उर्फ सियाराम पुत्र कल्याण
13. भौरी देवी पत्नि कल्याण
14. गणपति देवी पुत्री रामसहाय
15. रूपनारायण पुत्र लालाराम
16. रामकरण पुत्र लालाराम
17. शंकर पुत्र लालाराम
18. रामअवतार पुत्र लालाराम
19. महेश पुत्र लालाराम
20. नाथी देवी पत्नि लालाराम (फौत दौराने वाद)
    समस्त जाति हरि0ब्राहमण, निवासी ग्राम गुवारडी, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।
21. तहसीदार, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
श्री हनुमान शर्मा :– वकील वादीगण।
श्री अरविन्द शर्मा :– 1, 10, 15, 16, 17, 19

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

–: निर्णय :–

वादीगण की ओर से एड0 श्री हनुमान शर्मा ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादीगण की आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 216 रकबा 0.1900है0 किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 217 रकबा 0.9000है0 किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 322 रकबा 0.2200है0 किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 323 रकबा 0.2200है0 किस्म चाही प्रथम, कुल किता 4 कुल रकबा 0.7200है0 वाके ग्राम गुवारडी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर मे स्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी मे अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर खेती कर रहे है। वादीगण ने खसरा नम्बर 322, 323 की भूमि के चारों ओर तारबन्दी कर रखी है। प्रतिवादीगण का वादीगण की उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार नही है और ना ही प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे काश्त में दखल करने का हक व अधिकार हासिल है किन्तु प्रतिवादीगण संख्या बल में अधिक है तथा बाहूबली व्यक्ति है जो बाहुबल के आधार पर वादीगण की उक्त वर्णित आराजी की सीमा डोल को जबरन तोडकर अपनी तरफ मिलाना चाहते है। दिनांक 13.08.23 को वादीगण की उक्त वर्णित आराजी भूमि पर आये और वादीगण की तारबन्दी को तोडने की धमकी देने लगे और ऐलानिया कहा कि हम तारबन्दी को तोडकर तुम्हारी भूमि पर कब्जा करके रहेगे। अतः प्रतिवादीगणों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि उक्त वर्णित आराजियात के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजामहत न तो स्वयं कारित करे और ना ही वादीगण को उक्त आराजी से जबरन बेदखल करे और ना ही वादीगण की तारबन्दी को तोडे और ना ही सींवडोल को तोडें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1, 10, 15, 16, 17, 19 की ओर से वकील श्री अरविन्द शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा दिनांक 5.9.23 को पेश किया तथा जवाब पेश नही किया गया। अतः जवाब दिनांक 27.03.25 को बन्द किया गया। प्रतिवादीगण सं0 2 लगायत 9, 11 ता 14, 18 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। प्रतिवादीगणों को दिनांक 28.04.2025 को बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः उक्त प्रतिवादीगणों के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं0 20 दौराने वाद फौत हो चुका है। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादीगण ने वाद पत्र में अंकित बिन्दूओ को दौहराते हुऐ निवेदन किया कि उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 216 रकबा 0.1900है0 किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 217 रकबा 0.9000है0 किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 322 रकबा 0.2200है0 किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 323 रकबा 0.2200है0 किस्म चाही प्रथम, कुल किता 4 कुल रकबा 0.7200है0 वाके ग्राम गुवारडी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर मे प्रतिवादीगणों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि उक्त वर्णित आराजियात के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजामहत न तो स्वयं कारित करे और ना ही वादीगण को उक्त आराजी से जबरन बेदखल करे और ना ही वादीगण की तारबन्दी को तोडे और ना ही सींवडोल को तोडें।

अतः वकील वादीगण की बहस का मनन करने व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वादीगणों द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाकै ग्राम गुवारडी, पटवार हल्का सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 216 रकबा 0.1900है0 किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 217 रकबा 0.9000है0 किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 322 रकबा 0.2200है0 किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 323 रकबा 0.2200है0 किस्म चाही प्रथम, कुल किता 4 कुल रकबा 0.7200है0 में वादीगण के स्वामित्व की भूमि पर उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजामहत न तो स्वयं कारित करे और ना ही वादीगण को उक्त आराजी से जबरन बेदखल करे और ना ही वादीगण की तारबन्दी को तोडे और ना ही सींवडोल को तोडें तथा वादीगण की आराजी में मौके की यथास्थिति बनाये रखें। तदनुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 05/05/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

डिक्री मुकदमा इबलाई
(ओ0 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर राज0
बइजलास श्री ललित मीना, आर0ए0एस0

उनवान

नैना देवी वगै0 बनाम राधेश्याम वगैराह

(वाद अन्तर्गत धारा 188, वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा राज0 काश्तकारी अधिनियम)

मुकदमा नम्बर 119/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललित मीना आर.ए.एस. व हाजिर श्री हनुमान शर्मा अधिवक्ता वादीगण व श्री अरविन्द शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1, 10, 15, 16, 17, 19 निजातिब मुदालय रूबरू बहाजीरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगणों द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाकै ग्राम गुवारडी, पटवार हल्का सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 216 रकबा 0.1900है0 किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 217 रकबा 0.9000है0 किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 322 रकबा 0.2200है0 किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 323 रकबा 0.2200है0 किस्म चाही प्रथम, कुल किता 4 कुल रकबा 0.7200है0 में वादीगण के स्वामित्व की भूमि पर उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजामहत न तो स्वयं कारित करे और ना ही वादीगण को उक्त आराजी से जबरन बेदखल करे और ना ही वादीगण की तारबन्दी को तोडे और ना ही सींवडोल को तोडें तथा वादीगण की आराजी में मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

डिक्री आज दिनांक 05/05/2025 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदई	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प वजूह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवहान			खर्चा गवहान		
बबतहजराय हुक्मनामा			बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत			मुत		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर